

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता क्रांति ने रचा इतिहास: 1001 रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

महिला समूहों, नागरिकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं आदि ने रांगोली के माध्यम से इतिहास रचकर रतलाम को बनाया नम्बर-1 रतलाम 31 मार्च । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड के निर्देश और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के कुशल मार्गदर्शन में स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास तेजी से जारी है। इन्हीं प्रयासों के चलते कचरामुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रांगोली निर्माण कर नागरिकों को स्वच्छता का स्वच्छता का संदेश दिया गया है। इस अभियान में समूचे शहर को जोड़ते हुए 31 मार्च बुधवार को रतलाम नगर के व भन्न इलाकों में एक हजार एक रांगोली का निर्माण कर नागरिकों ने रांगोली निर्माण में भी नम्बर-1 बना दिया है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जानकारी देते हुए बताया क रतलाम शहर को स्वच्छता रैंकग 5 स्टार में लाने के लिए रतलाम नगर निगम ने दावेदारी की है और इसके मापदण्डों को भी पूरा कर जाने के प्रयास सतत जारी है। इसी के तहत रतलाम शहर के 49 ही वार्ड जीरो वेस्ट में तब्दिल कर जा चुके है।

पछले दिनों नई दिल्ली से रांगोली को देश में विशेष अलर्ट घोषित किया गया है जो शहरवासियों के लिए गर्व का वषय है। इसी कड़ी में आगामी 31 मार्च को शहर में एक हजार एक रांगोली का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के तहत बुधवार को अपने कार्यालय, घर, दुकान, पार्क, चौराहा, तिराहे इत्यादि की सफाई करवाकर व भन्न उद्देश्यों को दर्शित कर रांगोली बनवाई गई ता क पूरे नगर में स्वच्छता के प्रति सुन्दर भाव जागे।

इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए रतलाम के एक दर्जन महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 सदस्यों का चयन किया। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास वभाग से समन्वय कर नगर की 150 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का चयन कर उन्हें अपनी क्षेत्र की

महिलाओं और बालकों के माध्यम से रांगोली निर्माण का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही सफाई मंत्र समूह की टीम भी अलर्ट रही। सुबह सात बजे से रांगोली निर्माण की शुरुवात स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम कार्यालय से की गई। इसके बाद शहर के अनेक इलाकों में रांगोली निर्माण का कार्य शाम सात बजे तक जब तक चलता रहा क जब तक 1001 रांगोली का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया।

इन इलाकों में सजी रांगोली

अलकापुरी जनता नगर नयागांव राजगढ़ अर्जुन नगर दिलीप नगर हनुमान ताल रत्नपुरी शक्तिनगर शुभम परिसर सहकारी कॉलोनी दीपक नगर सूरजमल जैन नगर अर्जुन नगर माहेश्वरी प्रोटीन राजीव नगर दिलीप नगर सवक सेंटर काशी वश्वनाथ मंदिर अमृतसागर क्षेत्र गढ़ कैलाश भगतपुरी जिला अस्पताल महिला एवं शशु रोग गहन च कत्सा ईकाई बाल च कत्सालय काटजू नगर जवाहर नगर दिनदयाल नगर नगर निगम कार्यालय परिसर साईंस एण्ड आर्ट्स कालेज का लका माता मंदिर परिसर झाली तालाब अमृतसागर तालाब क्षेत्र एवार्ड नम्बर-22 ; भगतपुरी) रत्नेश्वर रोड एवार्ड नम्बर-25 ; माली कुआं) गवली मोहल्ला भाटो का वास एलोहार पी एअजा बस्ती व आसपास का इलाका सुभाष नगर त्रिवेणी रोड शंकरगढ़ नया कल्याण नगर पुराना कल्याण नगर मस्जिद वाली गली त्रिपो लया गेट रोड गढ़ कैलाश मोती नगर संत नगर खेतलपुर ईश्वर नगर गली नम्बर-1 ए2 ए3 व 4 राम रहीम नगर गली नम्बर-1 व 2 धीरजशाह नगर गली नम्बर 1 ए2 व 3 गोपाल नगर गली नम्बर 1 व 2 बुधेश्वर रोड टाटा नगर गली नम्बर- 1 ए2 व 3 डी डी नगर सेक्टर एक से लेकर पांच तक श्री नगर ओसवाल नगर बालाजी नगर चुनपत बिल्डिंग गुलाबशाह वाली रोड एनवीन कलेक्टर कार्यालय एसपी कार्यालय डीआरपी लाईन मोचीयान पंचायत शैरानीपुरा-1 एकेर बावडी दानीपुरा धबाईजी का वास एबाहमण गली सोमनाथ मंदिर हाथीखाना रोड सहित नगर के सभी प्रमुख चौराहे सहित 100 से ज्यादा क्षेत्रों में रांगोली का निर्माण कराया गया है।

सतत जारी रहेगा रांगोली निर्माण

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्वच्छता का प्रति जनता का आदर भाव सराहनीय है। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने अपने घरों के बाहर रांगोली का निर्माण कर शहर के प्रति अपने स्नेह का इजहार किया है। बुधवार को एक हजार एक रांगोली निर्माण का जो लक्ष्य हुआ वो पूरा हुआ है। यह कार्य निरन्तर जारी रहेगा और जो क्षेत्र आज छोटे हैं उनमें भी रांगोली का निर्माण जारी रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि गंदगी सबको अलग-थलग करती है कन्तु रांगोली के माध्यम से स्वच्छता सबको एक करेगी। एकता में ही तो शक्ति है। रतलाम नगर को पूरे देश में नंबर 1 बनाने के लिए शहर के सभी वार्डों को कचरा मुक्त बनाकर ही रैंक प्राप्त की जा सकती है।

इनका रहा सहयोग

आज के रांगोली निर्माण कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मती वनिता लोढ़ाए पर्यवेक्षक प्रेरणा तोगड़ेए एहतेशाम अंसारीए मंजू वर्माएहेमा गेहलोतए उषा लम्बोदियाए श्रीमती कुसुम चाहरएसोफिया कुरैशीए सीमा अग्नीहोत्रीए ज्योति शर्माएलोकेश जाटए वैशाली वाघेमम्बरेए गीता शर्माए फातिमा सदकीए सपना अग्रवालए वजया देराश्रीएश्रीकृष्ण महिला समूहएसफाई मत्र समूहए स्वास्थ्य विभाग के आशीष चौरसयाएस्वच्छता निरीक्षक करण चौहानए पर्वत हाड़ेएवार्ड 22 के दारोगा चंदन भाटीए आदि लोगों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा है।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम 31 मार्च | गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकॉल से निर्मित कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से निर्मित बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउलए मी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिपोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

अनुपस्थित 30 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 31 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 31 मार्च बुधवार को 30 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

741 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 31 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 31 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 741 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 27 मार्च बुधवार को जवाहर नगर व अलकापुरी शनि मंदिर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी०

संहर झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाडे व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 31 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है।

वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 31 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 31 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर

निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 31 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए

ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/31ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.